



41/2026/1/1246248/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

संयुक्त सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के आवासों एवं ओ०पी०डी० की मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/569, दिनांक 20.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के आवासों एवं ओ०पी०डी० की मरम्मत कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 594.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-26-जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय नियमों, शर्तों व प्रतिबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।
- (3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
- (5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
- (6) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (9) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
 - (10) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 - (11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 - (12) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
 - (13) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
 - (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 - (15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052600 जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-286/दस-2025-26, दिनांक 17 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ तथा अयोध्या।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।